[31/3/2016]

तारांकित प्रश्न क्रं 2917

परिशिष्ट - क 13

शुल्क— इस सेवा को प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय रू. 5/— का न्याय शुल्क का टिकट चस्पा करना होगा। साथ ही मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56 के अन्तर्गत :—

एकसाला/पांचसाला खसरे के प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक के लिए या प्रत्येक खाता धृति जमाबंदी (बी–1/खतौनी), अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56(क) के अन्तर्गत रू. 10/— की दर से न्यायालय फीस लेबल के रूप में चिपकाई जायेगी।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56(क) के अन्तर्गत एकसाला/पांचसाला खसरे के प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक के लिए या प्रत्येक खाता धृति जमाबंदी (बी–1/खतौनी), अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए रुपए 10/— की दर से प्रतिलिपिकरण फीस देय होगी।

- लोक सेवा केन्द्र पर खसरें की प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवदेन पत्र पर अधिकतम 10 खसरा नम्बरों की एक या अधिक प्रतियों के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
- एक आवेदन पर बी–1 के एक पूर्ण खाते/संयुक्त खाते की एक या अधिक नकल ली जा सकेगी, परन्तु प्रत्येक पृथक खाते के लिए पृथक आवेदन देना होगा।
- लोक सेवा केन्द्र पर खसरे तथा बी–1 की प्रति प्राप्त करने संबंधी एक आवेदन पर अधिकतम 10 खसरा नंबरों तथा एक खाते की नकल एक या अधिक प्रतियों में ली जा सकेगी।

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 अन्तर्गत न्यायालय फीस स्टाम्प का मूल्य प्रभारित की गई प्रतिलिपिकरण फीस की रकम के बराबर होगा)

लोक सेवा केन्द्र में आवेदकों की सुविधा के लिए रू. 5/— के न्याय शुल्क टिकिट का स्टाक एवं रू. 10/— के न्यायालय फीस लेबल का स्टाक रखा जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोक सेवा केन्द्र के संचालक को स्टाम्प वेंडर की अनुज्ञप्ति दी जाये।

खसरा/खतौनी की प्रतिलिपि के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित राशि लोक सेवा केन्द्र द्वारा जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी को जमा किये गये टॉपअप के विरुद्ध समायोजित होगी। माह के दौरान इस तरह जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी को प्राप्त शुल्क अगले माह के प्रथम सप्ताह राजस्व प्राप्तियों के शीर्ष 0029 में चालान द्वारा कोषालय में जमा किया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को दी जायेगी।

लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क रू. 30/— अतिरिक्त जमा करना होगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय

तारांकित प्रश्न क्र. 2917

परिशिष्ट - 'रव'

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 मई 2013—वैशाख 25, शक 1935

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

क्र. एफ-2-8-2012-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 256 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजस्व अभिलेख नियम, 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 56 में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) एकसाला/पांचसाला खसरे के प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक के लिए या प्रत्येक खाता (धृति) जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए. रुपए 10.00";

(दो) खण्ड (ग) के नीचे आने वाले पैरा में, शब्द "सर्वेक्षण संख्यांक" के स्थान पर, शब्द "वाजिब-उल-अर्ज या तिस्तार पत्रक" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय